न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 246/2023 निर्णय दिनांक :–25.02.2026

उनवानी प्रार्थना पत्र :

दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

ब्नाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक।

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री प्रकाशचन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राज0 रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 39 खसरा नं0 1023 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1028 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1029 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 1030 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 1029 रकबा 0.34 है0 कुल किता–5 कुल रकबा 1.34 है0 वाके ग्राम टोडा का गोठड़ा पटवार हल्का टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी को अपने पिता गोविन्द सिंह की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम सहवन से छोटू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजस्व रिकार्ड मे गलती से अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह है तथा प्रार्थी के अन्य सभी सरकारी दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह अंकित है जो कि गोविन्द सिंह का पुत्र है। प्रार्थी के पिता के छोटूसिंह नाम का कोई पुत्र नही है तथा प्रार्थी की खातेदारी की अन्य भूमि खाता संख्या 24 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह सही अंकित हो रखा है ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी के नाम का गलत अंकिन होने से प्रार्थी उक्त आराजीयात बाबत/राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है जिसके कारण कारण प्रार्थी को काफी कठिनाईया का सामना करना पड़ रहा है तथा बैंक से ऋण भी प्राप्त नही कर पा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त वर्णित आराजीयात का सहखातेदार है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही गयी है इस कारण उसे पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिपक्षी को जमीन का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया बया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि खाता संख्या 39 खसरा नं0 1023 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 1028 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1029 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 1030 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 1029 रकबा 0.34 है0 कुल किता–5 कुल रकबा 1.34 है0 वाके

Ruby

ग्राम टोडा का गोठड़ा पटवार हल्का टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में वादी का नाम दुरूस्त कर वादी का नाम छोटू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह के बजाय दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार देवली पेरोकार सरकार ने जवाब/रिपोर्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राज0 रेवेन्यू एक्ट अप्रार्थी पेरोकार सरकार की तरफ से जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :– प्रार्थना पत्र का चरण सं0 1 में वर्णित ख0सं0 1023/0.27, 1028/0.11, 1029/0.23, 1030/0.39, 1039/0.34 कुल किता 5 कुल रकबा 1.34 है0 ग्राम टोडा का गोठड़ा तहसील देवली में स्थित होना स्वीकार है। उक्त ख0नं0 में छोटू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह का हि0 1/2 है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 2 अस्वीकार है। उक्त भूमि सिलिंग भूमि आंवटन नियमों के तहत वृहदराज सिंह के साथ छोटूसिंह को संयुक्त रूप से आवंटित हुयी थी आवंटन आदेश में उक्त नाम दर्ज होने से ना0सं0 59 ग्राम टोडा का गोठडा से इसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है। आवंटन आदेश एवं नामान्तकरण के अनुरूप ही नाम छोटूसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 3 न्यायिक है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 4 कानूनी है।

विशेष आपत्तिया :– ग्राम टोडा का गोठडा के ख0सं0 1436/0.27, 1441/0.11, 1442/0.23, 1443/0.39, 1452/0.34 कुल किता 5 कुल रकबा 1.34 है0 सिलिंग भूमि आंवटन नियमों के तहत वृहदराज सिंह हि0 1/2 पुत्र गोविन्द सिंह व छोटूसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हि0 1/2 को आवंटन हुआ था उक्त आवंटन का नाम0सं0 59 से राजस्व रिकार्ड मे अमल होकर आवंटन आदेश के अनुरूप वर्तमान रिकार्ड मे नाम छोटूसिंह सही रूप से दर्ज है। ग्राम टोडा का गोठडा से नवीन राजस्व ग्राम बन जाने इनके वर्तमान ख0नं0 क्रमशः 1023/0.27, 1028/0.11, 1029/0.23, 1030/0.39, 1039/0.34 बने है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी स्वच्छ हस्त से न्यायालय मे नही आया है। प्रार्थी ने पहले भूमि छोटू सिंह के नाम से आवंटित करवाकर अब नाम छोटूसिंह के स्थान पर दिग्विजय सिंह करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत नही होने के साथ आरएलआरए 1956 की धारा 136 के क्षैत्राधिकार मे नही आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन एवं आर0एल0आर0 1956 की धारा 136 के क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस मीमो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 39 संयुक्त खातेदारी छोटू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह व बृजराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह व जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 24 संयुक्त खातेदारी दिग्विजय पुत्र गोविन्द सिंह व मोहन सिंह पुत्र गोपाल सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का तर्क है कि दिग्विजय सिंह व छोटू सिंह एक ही व्यक्ति है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द

बदलने के लिए पंचायत का पत्र एक प्रर्याप्त कानूनी आधार नही है, विशेषकर तब जब आंवटन आदेश सरकार द्वारा किसी विशिष्ट नाम ''छोटू सिंह'' से किया गया हो। **साक्ष्य की अप्रर्याप्तता** – प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आईडी प्रूफ दिग्विजय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह के नाम से है जो यह साबित करते है कि प्रार्थी का नाम दिग्विजय सिंह है लेकिन यह साबित करने के लिए प्रर्याप्त नही है कि छोटू सिंह के नाम से आंवटित भूमि वास्तव में प्रार्थी की ही है। तहसीलदार जवाब/रिपोर्ट विशेष आपति में **नाम ''छोटू सिंह'' मूल आंवटन आदेश और नामान्तकरण संख्या 59 के समय से दर्ज है।** अतः यह मामला लिपिकीय भूल की श्रेणी में नही आता है। यह हक और पहचान का विवाद है। यदि किसी मामले में अधिकारों का निर्धारण या पहचान का विवाद शामिल है तो धारा 136 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही नही की जा सकती है। छोटू सिंह के स्थान पर दिग्विजय सिंह करना केवल एक मात्रा या स्पेलिंग की गलती नही है बल्कि यह एक व्यक्ति पहचान को पूरी तरह बदलने जैसा है जो धारा 136 के दायरे से बाहर है। प्रार्थी का नाम दिग्विजय सिंह व रिकार्ड में दर्ज नाम छोटू सिंह में व्यापक अंतर है और अंतर मूल आंवटन के समय से है अतः धारा 136 के तहत बदलने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली